हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज मामूल — सरकार वाजा 5-2/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.8.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। अप्रार्थी लेण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी बाबजूद सूचना उपस्थित नही है एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र का कोई जबाब भी प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया। प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि टी.आई श्रीफूल बनाम सरकार, दिनांक 18.10.2022 को अदम हाजरी मे माननीय अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है जबकि प्रार्थीगण जानबूझ कर अनुपस्थित नही हुए थे जबकि मजदूरी करने के सिलसिले मे मद्रास चले गये थे, आने पर वकील साहब से जानकारी की तो वकील साहब ने बताया कि अप्रार्थीगण की टी.आई. पत्रावली अदम हाजरी मे खारिज कर दी गई है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि मे हित निहित है। इसलिए बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 18.10.2022 को खारिज किये गये टी.आई को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई करने का कष्ट करे। प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाजदायरी प्रार्थना पत्र मे देरी के लिए जो कारण प्रार्थीगण की ओर से अंकित किये गये है वे संतोषप्रद है। ऐसी स्थिति मे दिनांक 18.10.2022 को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज की गई टी.आई. पत्रावली, उनवानी श्रीफूल वगैरा बनाम सरकार को पुनः नम्बर पर लेने का आदेश दिया जाता है। यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर कम हो एवं मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०) Signature Not Verified Digitally signed by Brijendra Meena Date: 2025.09.03 11:15:53 IST Reason: SelfAttested	